FORM NO. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

Court of District Collector at Phalodi
Kiran Purohit Versus Asulal & others (Appeal No. 04/2024)

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
09/07/2024	प्रकरण में भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण को दोहराते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने तर्क किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार दिए जाने के क्रम में तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित किया गया है। अपीलांट पिछले काफी वर्षो से अपने ससुराल अमरावती, महाराष्ट्र में निवास कर रही है। अपीलांट उक्त भूमि की जमाबंदी की नकल लेने के लिए पटवारी के पास गयी, तो नामान्तरकरण संख्या 78 पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी मिली। जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्रता–शीघ्र अपील प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्टस द्वारा धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा तर्क किया गया कि अपील 60 वर्ष से अधिक की अवधि से विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इस देरी का पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां तक की अपील में या धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी की सही तिथि का भी अंकन नहीं किया गया है। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित डी.बी. सिविल अपील संख्या 933/2001 उनवान भैरू बनाम मांगीलाल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रेमसिंह बनाम बीरबल (अपील 2412/2006) एवं आर.आर.डी. 1993 के पेज–411, राजस्थान सरकार बनाम मोतीराम के उद्वरण प्रस्तुत किये गए है। उक्त उद्वरण मुख्यतः इस बिन्दु पर आधारित है कि अपीलाधीन आदेश धारा 19 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार इसकी अधिकारिता सहायक कलक्टर को थी। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश प्रारम्भतः शून्य है। इसके विपरित अभिभाषक रेस्पोडेन्टस का तर्क है कि धारा 3 मियाद अधिनियम के प्रावधान आज्ञापक है। उक्त प्रार्थना पत्र के विचारण के समय प्रकरण के मेरिट पर भी विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस संबध में विद्वान अभिभाषक ने 2024 (1) RRT Page–653, AIR–2014 SC Page 1612 एंव अन्य उद्वरण 2024(1) व 2024(1) DNJ Raj 693, 2024(1) RRT 693 प्रस्तुत किये है। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम एवं बहस के तर्को पर विचार मनन किया। अपील में विचारण से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी की वास्तविक तिथि अंकित की गई है, न ही देरी का पर्याप्त कारण	जिला क... फलौदी

Order Sheet

Court of .... at ....

.... Versus ....

...में 60 वर्ष से अधिक अवधि की बताया गया है। जबकि प्रकरण में 60 वर्ष से अधिक अवधि की देरी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि में अन्य खातेदारों के संबंध में भी कोई प्रकटीकरण नहीं किया है, न ही उन्हे पक्षकार बनाया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। इतनी लम्बी अवधि के दौरान संबंधित खातेदारों के वारिसान द्वारा अपीलाधीन आदेश को चुनौती नहीं दी गइ। मियाद के सामान्य कानून के अनुसार न्यायालय का यह दायित्व है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत समयावधि / मियाद के आज्ञापक प्रावधान को ध्यान में रखा जावे। धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायालय को मियाद से बाहर प्रस्तुत अपील के विचारण में उसी स्थिति में सशक्त करता है जबकि अपीलांट द्वारा निर्धारित अवधि में अपील नहीं करने के पर्याप्त कारण अपीलांट द्वारा सिद्व किये गये हो। न्यायालय का यह विवेकाधीन अधिकार विलम्ब के पर्याप्त कारणों की स्थापित करने की शर्त के अध्यधीन है।

धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र के तहत छूट के संबध में उच्चतर न्यायालयों द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने के निर्देश है, किन्तु साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि मियाद की छूट की विवेकीय शक्तियां विलम्ब के पर्याप्त कारणों की शर्त के अध्यधीन है। ऐसी छूट दिये जाने से मियाद / परिसीमा कानून का प्रयोजन खत्म ना हो और पुराने मृत मामले अनावश्यक रूप से पुनः नहीं खोले जावे। मियाद / परिसीमा की अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी डिक्री होल्डर या आदेश प्राप्तकर्ता के पक्ष में एक तात्विक (Substantial) अधिकार उत्पन्न हो जाता है और ऐसे अधिकार की समाप्ति तथ्यहीन व आधारहीन प्रार्थना पत्र के आधार पर नहीं की जाने चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बासवराज व अन्य बनाम स्पेशल लैण्ड एक्वीनिशन ऑफिसर (2013) 14 SSC 81 के मामले में आगाह किया है कि विलम्ब शमन में विवेक का उपयोग न्यायपूर्ण तरीके से प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कर किया जाना चाहिए। "पर्याप्त कारण जो धारा 5 में अंकित किया गया है, को उदारता से निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए यदि अपीलांट के स्तर पर निष्क्रियता, लापरवाही व सदभाविता की कमी रही है।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने P.S REDDY V/S The Special Deputy Collector (RRT 2024(1) Page--653) में परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के संबध में अवधारित किया है कि मियाद कानून इस लोकनीति पर आधारित है कि मुकदमेंबाजी का एक अवधि के पश्चात अंत होना चाहिए। किसी अधिकार या उपचार का उपयोग यदि लम्बे समय तक नहीं किया गया है तो उसका अस्तित्व एक निर्धारित अवधि के पश्चात समाप्त हो जाता है। धारा 3 परिसीमा अधिनियम के प्रावधान का कठोर अर्थो में निर्वचन अपेक्षित है। त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से निर्वचन उदार व न्याय आधारित दृष्टिकोण पर किया...

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

Court of ..... **at**----------

---------- **Versus** ----------

जाना चाहिए किन्तु ऐसी उदारता से धारा 3 के तहत निर्धारित सारभूत कानून का प्रयोजन पराजित (Defeat) नही होना चाहिए। अदालतों को विलम्ब समय के संबध में विवेकीय शक्तियॉ है, यदि विलम्ब के पर्याप्त कारण स्थापित किये गये हो। ऐसे मामलों मे इस विवेकीय अधिकार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जहॉ असाधारण विलम्ब लापरवाही व सम्यक तत्परता की कमी के कारण हो।

प्रस्तुत प्रकरण में धारा 5 के प्रार्थना पत्र के तहत अपीलाधीन आदेश को NULL एंव VOID (अशक्त और शून्य) करार दिये जाने/माने जाने का कोई अभिकथन नहीं किया है। अतः इस आधार पर अपीलान्ट कोई राहत पाने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण के प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट के पिता/दादा एवं अन्य सहखातेदारों के वारिसानों द्वारा अपीलाधीन आदेश को कोई चुनौती दिए जाने का कोई प्रयास किया हो या उन्हे अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी या नही। इस प्रकार अपीलांट अपीलाधीन आदेश को चुनौती देने में लापरवाह रहे है। अधिकांश दावेदारों ने अपीलाधीन आदेश को चुनौती नहीं दी है। अतः ऐसा प्रकट होता है कि उन्होने अपीलाधीन आदेश को स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रकरण में ऐसी परिस्थितियों एवं तथ्यों की विधमानता नहीं पाता, जिसमें विलम्ब अवधि शमन हेतु पर्याप्त कारण स्थापित किये गये हो और धारा 3 परिसीमा अधिनियम के प्रावधान को शिकस्त देते हुए धारा 5 के तहत विलम्ब शमन की छूट दिये जाने के पर्याप्त कारण विधमान हो। यह भी सिद्व व स्थापित नहीं है कि अपीलान्ट व उसके पूर्वजों द्वारा अपीलाधीन आदेश को चुनौती दिए जाने के सम्बन्ध में सम्यक तत्परता (Due diligence) बरती गई हो।

अतः उक्त विवेचना अनुसार प्रस्तुत अपील को न्यायालय विचारणीय नहीं मानता है। प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

जिला कलक्टर
फलोदी